हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

12/8/25

पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता व अप्रार्थी संख्या 7 के पति रघुनाथ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। रघुनाथ की मृत्यु हो चुकी है। विवादित भूमि प्रार्थीगण के पिता रोडू व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व 8 लगायत 11 के दादा रोडू जी द्वारा फाडकर आबाद की गई थी। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 व 8 लगायत 12 के पिता/पति संयुक्त परिवार में रहते थे। रोडू जी के सभी पुत्र शामिल में ही रहने से, शामिल रहते हुए परिवार की आमदनी से रोडू जी ने अपने पुत्र भंवरलाल के नाम खसरा संख्या 68/906, 86, 1157/67, 1158/70, 1159/71 कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा व दूसरे पुत्र रघुनाथ के नाम भूमि खसरा संख्या 66, 67/903 कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा भूमि परिवार की संयुक्त आमदनी से बनाई है। विवादित भूमि में रोडू जी के चारों पुत्रों का बराबर हक व अधिकार है इस बाबत आवंटी रघुनाथ ने अपने पिता के जीवनकाल में ही स्टाम्प निष्पादित करवा दिया था, उसी अनुरूप चारों भाई बराबर–बराबर समान रूप काबिज काश्त चले आ रहे है। रोडू जी की मृत्यु के उपरांत चारों पुत्र मौके पर अलग–अलग हिस्से कर विवादित भूमियों पर काश्त कर रहे है। रघुनाथ जी की मृत्यु उपरांत उनके वारिसान प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि खाता संख्या 86 पर से उनको बेदखल करने, भूमि को रहन–बेचान करने पर आमादा है। विवादित भूमियॉ संयुक्त परिवार की आय से बनाई जाने से प्रार्थीगण विवादित भूमियों में अपना हक व हिस्सा तय करवाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण को वादपत्र में अंकितानुसार भूमियों में खातेदार घोषित किया जावे व विवादित भूमियों में प्रार्थीगण के निहित हिस्से की भूमि पर से उसे बेदखल नहीं करने, जबरन कब्जा नहीं करने, कब्जे काश्त दखलंदाजी नहीं करने व विवादित भूमियों को रहन, बेचान नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जावे।

हमने वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 86 खसरा नम्बरान 66 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा व खसरा संख्या 67/903 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया में स्थित है,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जो कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के पिता व पति के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण के बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए हुए है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

प्रथम दृष्ट्या मामला :– विवादित भूमि खाता संख्या 86 खसरा नम्बरान 66 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा व खसरा संख्या 67/903 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया में स्थिति है, जो कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के पिता व पति के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित विवादित भूमियॉ प्रार्थीगण के दादाजी रोडू ने परिवार की संयुक्त आय से बनाई जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 व 8 लगायत 12 के नाम आंवटन करवाने व विवादित भूमियों में प्रार्थीगण का बराबर हिस्सा निहित होने का स्टाम्प निष्पादन करवाने व उसी अनुसार काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :– विवादित भूमि खाता संख्या 86 खसरा नम्बरान 66 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा व खसरा संख्या 67/903 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा बाके ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया में स्थिति है, जो कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के पिता व पति के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित विवादित भूमियॉ प्रार्थीगण के दादाजी रोडू ने परिवार की संयुक्त आय से बनाई जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 व 8 लगायत 12 के नाम आंवटन करवाने व विवादित भूमियों में प्रार्थीगण का बराबर हिस्सा निहित होने का स्टाम्प निष्पादन करवाने व उसी अनुसार काबिज काश्त होने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में बन रहा है।

अपूर्णीय क्षति की संभावना :– विवादित भूमि खाता संख्या 86 खसरा नम्बरान 66 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा व खसरा संख्या 67/903 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया में स्थिति है, जो कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के पिता व पति के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब/खण्डन पेश नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विवादित भूमियॉ प्रार्थीगण के दादाजी रोडू ने परिवार की संयुक्त आय से बनाई जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 व 8 लगायत 12 के नाम आंवटन करवाई थी व भूमियॉ संयुक्त स्वामित्व की होने से अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल करने व विवादित भूमियों को रहन–बेचान करने से होने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई है।

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में होने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में बनने एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या 86 खसरा नम्बरान 66 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा व खसरा संख्या 67/903 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया में निहित 1/2 हिस्से की भूमि पर से उसे बेदखल नही करने, कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करे, रहन बेचान नहीं करें व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली